न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

ाकरण संख्या :–45/2021/प्रार्थना पत्र/बउनवान/जयराम वगै० बनाम कैलाबाई वगै०

ीसीएमएस संख्या 2021/178

1. जयराम पुत्र
2. सियाराम पुत्र
3. नटीबाई पत्नि

} स्वर्गीय कालूलाल जाति गुर्जर निवासीगण गुर्जर मौहल्ला ग्राम मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. कैला बाई पत्नि
2. पप्पू
3. रूपसिंह
4. छोटूलाल

} स्वर्गीय बजरंगा जाति गुर्जर निवासीगण गुर्जर मौहल्ला ग्राम मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

5. नटीबाई पत्नि गोरीलाल जाति गुर्जर निवासी गुर्जर मोहल्ला ग्राम मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
6. घांसीलाल पुत्र गोरीलाल जाति गुर्जर निवासी गुर्जर मोहल्ला ग्राम मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
7. घींसीलाल पुत्र गोरीलाल पत्नि गणेशराम जाति गुर्जर निवासी गुर्जर मोहल्ला ग्राम मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
8. रामपती पुत्री गौरीलाल पत्नि जयराम जाति गुर्जर निवासी गुर्जर मोहल्ला ग्राम मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

वकील प्रार्थीगण : श्री मनोज कुमार गालव

वकील अप्रार्थीगण : श्री रामरतन गोचर, श्री श्याम पारेता एवं श्री देवेन्द्र चौरसिया

दायरा दिनांक : 11.10.2021

निर्णय दिनांक : 25.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि :–

1. यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक/पुश्तैनी आराजी वाके ग्राम मऊ हाल खाता संख्या 126 जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 में शामलाती खाता में दर्ज हो रही है वादी एवं अप्रार्थीगण 1 ता 8 एक ही परिवार कुटुम्ब के सदस्य है एवं शामलाती खाता में 1/2–1/2 हिस्सा पर काबिज काश्त होकर लगातार काश्त करते चले आ रहे है।
2. यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 ता 8 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

Scanned by CamScanner

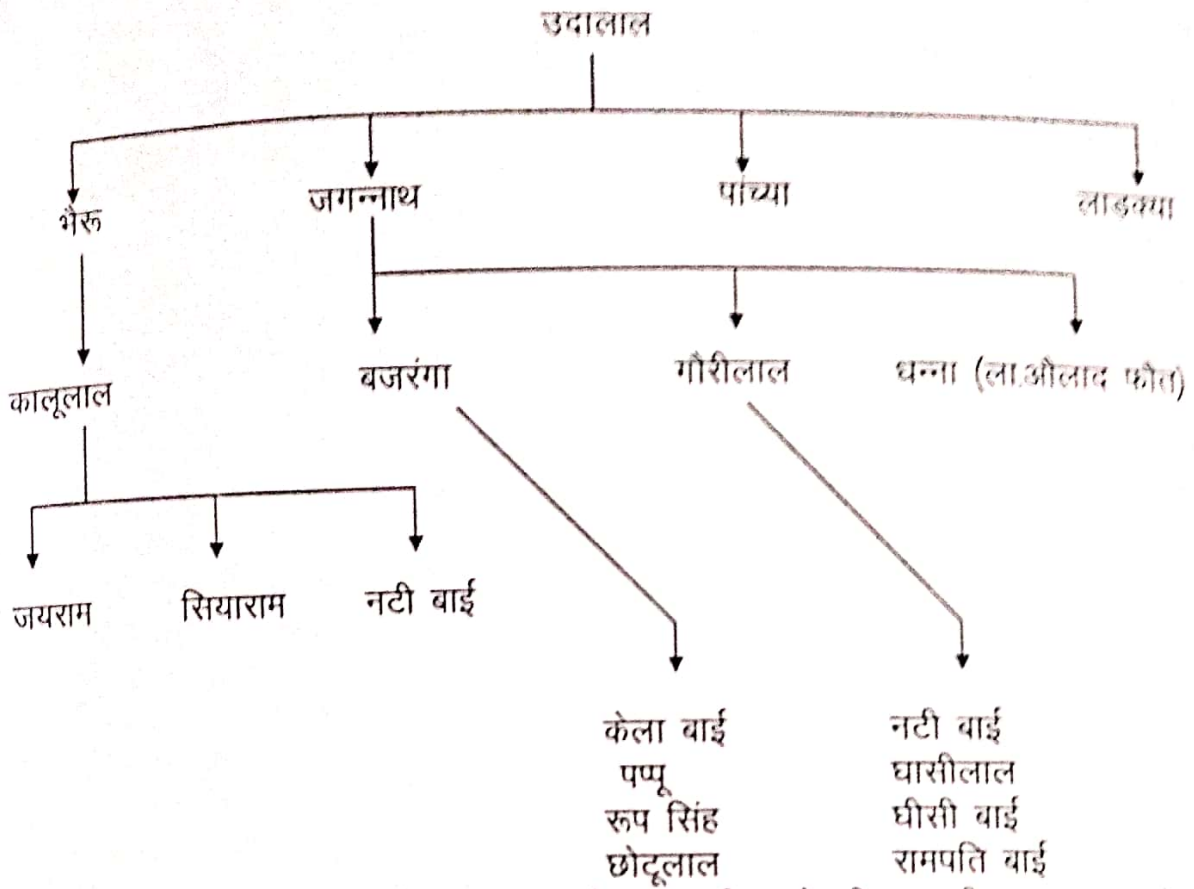

3. यह कि वादी एवं अप्रार्थीगण 1 ता 8 के शामलाती खाते की आराजी हाल खाता संख्या 126 खसरा नम्बर 99 किता 1 रकबा 1.50 हैक्टयर शामिल खाते में दर्ज हो रही है जिसके सैटलमेन्ट से पूर्व मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2044–2063 अनुसार साबिक खसरा नम्बर 85 रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 86 रकबा 14 बिस्वा थे जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सैटलमेन्ट से पूर्व सम्वत् 2037 से 2040 में दर्ज है एवं उपरोक्त सजरा अनुसार उदालाल के चारों पुत्रों भैरू, जगन्नाथ, लोडक्या, पांच्या के 1/4–1/4 हिस्सा बराबर प्रत्येक दर्ज हो रही है।
4. यह कि उपरोक्त सजरानुसार उदालाल के चारों पुत्र भैरु, जगन्नाथ, पांच्या लोडक्या 1/4–1/4 हिस्सा बराबर के वारिस व उत्तराधिकारी है किन्तु सैटलमेन्ट के दौरान बन्दोबस्त कर्मचारियों ने सहवन से जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 2063 में पांच्या व लोड़क्या को तो हिस्सा 1/4–1/4 में दर्ज कर दिया किन्तु अदालत के शेष पुत्र भैरू व जगन्नाथ जिनका इन्तकाल हो चुका था का इन्द्राज जमाबन्दी में "काल्या, गोरु, धन्ना, बजरंगलाल पिसरान् जगन्नाथ हिस्सा 1/2" दर्ज कर दिया जो कि पूर्णतया त्रुटिपूर्ण व सहवन से गलत दर्ज कर दिया क्योंकि "काल्या पुत्र जगन्नाथ" नहीं होकर उदालाल के पुत्र भैरू का एक मात्र वारिस था और जमाबन्दी में "काल्या पुत्र भैरू, गोरू, धन्ना, बजरंगलाल पिसरान जगन्नाथ हिस्सा 1/2 दर्ज होना चाहिये था।
5. यह कि करीबन 20 वर्ष पूर्व लोड़क्या व पांच्या ने अपना 1/2 हिस्सा साबिक खसरा नम्बर 99 रकबा 3.00 हैक्टयर से पृथक कराकर पृथक से दर्ज करा लिया है एवं हाल खाता संख्या 126 खसरा नम्बर 99 रकबा 1.50 हैक्टयर शेष हिस्सा 1/2 अदालत के वारिसान पुत्र भैरू व जगन्नाथ के वारिसान होने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 ता 8 के खाते दर्ज हो रहा है किन्तु दौराने सैटलमेन्ट प्रार्थीगण के पिता काल्या जी जो कि भैरू पुत्र उदालाल हिस्सा 1/4 के वारिस एवं कब्जाधारी है का नाम वल्दियत व हिस्सा गलत दर्ज कर देने से प्रार्थीगण का हिस्सा हाल राजस्व रिकार्ड में 1/2 के स्थान पर 1/3 में दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थीगण शुरू से ही 1/2 हिस्सा पर ही

Scanned by CamScanner

काबिज काश्त है और उदालाल जी के खाते की आराजी 3.00 हैक्टयर में से 1/4 हिस्सा 0.75 हैक्टयर प्राप्त करने के अधिकारी है।

6. यह कि प्रार्थीगण निरक्षर व अनपढ़ व्यक्ति है अप्रार्थीगण 1 ता 8 के पूर्वज के खाते सहवन से दौराने सैटलमेन्ट गलत इन्द्राज हो जाने से बदनीयतवश प्रार्थीगण की आराजी हिस्सा 1/2 की रहन बेचान दान करने की धमकिया दे रहे हैं जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज विगत 100 वर्षो से भी अधिक समय से हिस्सा बराबर-बराबर में ही काश्त कर रहे हैं एवं वादी व अप्रार्थीगण का हाल खाता संख्या 126 कुल किता 1 रकबा 1.50 हैक्टयर में 1/2-1/2 हिस्सा है जिसे प्रार्थीगण पृथक कराकर पृथक से ही अपने खाते दर्ज कराना चाहते हैं ताकि भविष्य में कोई वाद-विवाद का प्रश्न ही पैदा न हो सके प्रार्थीगण के लिये अपने हक व हिस्से को सुरक्षित रखने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है।

7. यह कि प्रार्थीगण के पिता काल्या उर्फ कालूलाल, भैरूलाल जी के एक मात्र पुत्र थे न की जगन्नाथ जी के वाद-पत्र के साथ कालूलाल (काल्या) जी का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जगन्नाथ के मात्र तीन पुत्र बजरंगलाल, गौरू व धन्नालाल थे जमाबन्दी सैटलमेन्ट से पूर्व एवं पश्चात् वाद-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जा रहे हैं। प्रार्थीगण एवं उनके पिता काल्या अनपढ़ निरक्षर होने एवं काश्तकारी कानून से अनभिज्ञ होने से एवं अप्रार्थीगण द्वारा वादी के हिस्से में दखलअंदाजी करने से वादी की जानकारी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा बताने पर वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

8. यह कि प्रार्थीगण का प्राईमाफैसी केस है। दौराने बन्दोबस्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से त्रुटि हो जाने से प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 7 रहन, बय, विक्रय करने पर आमादा है, तथा अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है, क्योंकि प्रार्थीगण का शामिल खाते में हिस्सा 1/2 के स्थान 1/3 दर्ज हो रहा है, जिस पर रहन, विक्रय कर देने से प्रार्थी को होने वाली क्षति अत्याधिक होगी।

9. यह कि अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः प्रार्थना है कि ताफैसला वाद एक अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण नं. 1 ता 7 प्रसारित करें कि प्रार्थीगण के हक व हिस्सा 1/2 तक शामलाती खाते की आराजी को रहन, बय-विक्रय नहीं करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 11.10.2021 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 व 8 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. यह कि प्रार्थना-पत्र की मद नं0. 1 में वर्णित तथ्य आराजी खाता संख्या 126 शामलाती खाता दर्ज होना स्वीकार है, किन्तु हिस्सा 1/2-1/2 पर काश्त करना स्वीकार नहीं है।
2. यह कि प्रार्थना-पत्र की मद नं0. 2 में वर्णित सजरा स्वीकार नहीं है वास्तविक पारिवारिक सजरा विशेष आपत्तियों में दर्ज हैं।
3. यह कि प्रार्थना-पत्र की मद नं0. 3 में वर्णित तथ्य स्वीकार है।
4. यह कि प्रार्थना-पत्र की मद नं0. 4 अस्वीकार है। विशेष विवरण पृथक से दर्ज हैं।
5. यह कि प्रार्थना-पत्र की मद नं0. 5 अस्वीकार है क्योंकि वर्तमान जमाबन्दी में वास्तविक हिस्सा ही दर्ज हो रहा है जो विशेष आपत्तियों में वर्णित सजरे से स्पष्ट किया गया है। प्रार्थी का कोई प्राईमाफैसी केस नहीं है और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है इसलिए प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
6. यह कि प्रार्थना-पत्र की मद नं0. 6 का जवाब बहस के समय मौखिक निवेदन किया जावेगा।

प्रार्थना प्रार्थीगण अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां :-

1. यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का वास्तविक पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है:-

Scanned by CamScanner

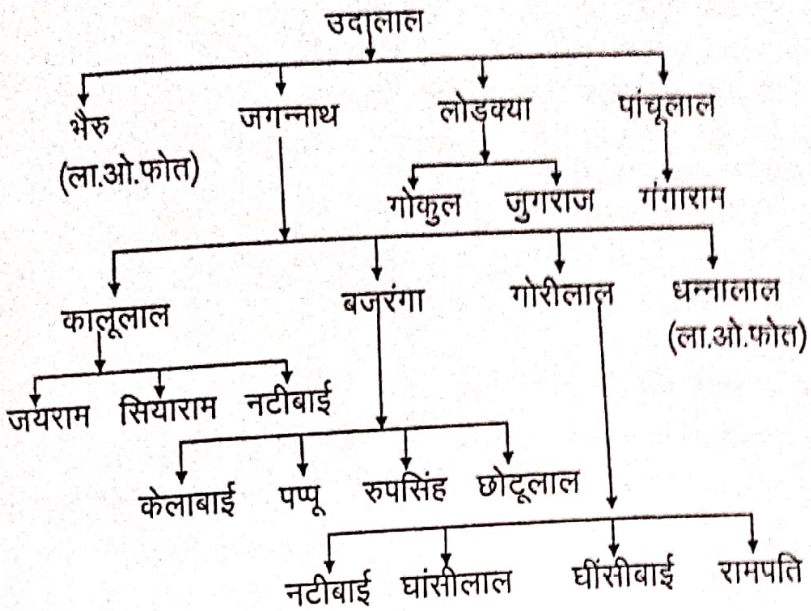

2. यह कि उपरोक्त वर्णित सजरा अनुसार उदालाल के 4 पुत्र थे जिनमें पुत्र भैरुलाल ला औलाद फौत हुआ है तथा उसके हिस्से दर्ज भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 ता 8 के दादा जगन्नाथ के दर्ज हुयी है तथा जगन्नाथ की मृत्यु बाद उसके चारों पुत्रों कालूलाल, बजरंगा, गौरीलाल, धन्नालाल के दर्ज होने पर एक पुत्र धन्नालाल ला औलाद फौत होने पर उसका हिस्सा समाप्त कर अन्य तीनों भाईयों के दर्ज किया गया है इसलिए प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 ता 8 के उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में 1/3–1/3 में दर्ज की गयी है जो सही दर्ज की गयी है।
3. यह कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत सजरा गलत पेश किया है तथा कालूलाल को मृतक भैरु का पुत्र बताया गया है जो सही नहीं है वास्तविकता में मृतक भैरु ला औलाद फौत हुआ है उसके कोई पुत्र नहीं था तथा उसके हिस्से दर्ज भूमि जगन्नाथ के खाते दर्ज होने से उसके तीनों जीवित पुत्रों कालूलाल, बजरंगा व धन्ना में विभाजित की गयी है, जो सही है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी सही अंकित हो रही है।
4. यह कि प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र तथ्यों को वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पेश किया जो चलने योग्य नहीं है इसलिए खारिज किये जाने योग्य है।
5. यह कि अप्रार्थीगण वाद में वर्णित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है इसलिए प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील पक्षकारान द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना में वर्णित किये गये हैं। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओं को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मऊ तहसील मांगरोल में खसरा नं0 99 रकबा 1.50 है0 आराजी को रहन बेचान नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण कम 1 ता 7 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। हाल खाता संख्या 126 खसरा नम्बर 99

Scanned by CamScanner

रकबा 1.50 हैक्टयर शेष हिस्सा 1/2 अदालत के वारिसान पुत्र भैरू व जगन्नाथ के वारिसान होने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 ता 8 के खाते दर्ज हो रहा है किन्तु दौराने सैटलमेन्ट प्रार्थीगण के पिता काल्या जी जो कि भैरू पुत्र उदालाल हिस्सा 1/4 के वारिस एवं कब्जाधारी है का नाम वल्दियत व हिस्सा गलत दर्ज कर देने से प्रार्थीगण का हिस्सा हाल राजस्व रिकार्ड में 1/2 के स्थान पर 1/3 मैं दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थीगण शुरू से ही 1/2 हिस्सा पर ही काबिज काश्त है और उदालाल जी के खाते की आराजी 3.00 हैक्टयर में से 1/4 हिस्सा 0.75 हैक्टयर प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के पैतृक आराजी में हक अधिकारों की घोषणा मूल वाद में तय की जायेगी। अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2. **अपूरणीय क्षति** : यदि अप्रार्थी कम 1 ता 7 द्वारा प्रार्थीगण की पैतृक व पुश्तैनी आराजी को रहन–बेचान किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, बहस वकील पक्षकारान, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 ता 7 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि खाता संख्या 126 खसरा नम्बर 99 रकबा 1.50 हैक्टयर आराजी को रहन–बेचान न करे, मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner